

पत्रांक - 5/20

प्रेषक:-

प्राचार्य,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर ।

सेवा में

जिला पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर ।

मुज0 दिनांक - 4/11/2020

विषय—इस चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में कुछ अनाधिकृत एवं भूमाफियों द्वारा
किए गए स्थायी अतिक्रमण को हटाने के संबंध में ।

प्रसंग: अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-2992 दिनांक-18.12.19
महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयक सूचित करना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी,
मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक — 2992 दिनांक — 18.12.19 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को यह
सूचित किया गया था कि दिनांक — 20.12.19 को इस चिकित्सा महाविद्यालय
परिसर से उक्त/सम्पूर्ण अक्रिमण को मुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी ।
जिसके लिए एक जे०सी०बी०, एक ट्रैक्टर एवं दस मजदूर की व्यवस्था करने का
निदेश दिया गया था तथा अधोहस्ताक्षरी के स्तर से उक्त व्यवस्था कर ली गई थी
। परन्तु वर्तमान तक उक्त अतिक्रमण को हटाने/खाली कराने हेतु कार्रवाई नहीं
हुई है ।

विदित हो कि इस कार्यालय के पत्र संख्या — दिनांक — द्वारा अनुमंडल
पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर को इस संदर्भ में सूचित करते हुए अनुरोध किया गया
था कि उक्त स्थायी/सम्पूर्ण अतिक्रमण को मुक्त कराने हेतु यथाशीघ्र कार्रवाई की
जाए ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस चिकित्सा महाविद्यालय परिसर से उक्त
स्थायी/सम्पूर्ण अतिक्रमण को हटाने हेतु अपने स्तर से यथाशीघ्र अग्रतर कार्रवाई
करने का कष्ट किया जाए ।

यह आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

विश्वासभाजन


प्राचार्य
4/11/2020

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

पत्रांक –

प्रेषकः—

प्राचार्य,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर ।

मुज0 दिनांक –

विषय—इस चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में कुछ अनाधिकृत एवं भूमाफिंगों द्वारा किए गए स्थायी अतिक्रमण को हटाने के संबंध में ।

प्रसंगः अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक—2992 दिनांक—18.12.19
महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयक सूचित करना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक — 2992 दिनांक — 18.12.19 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित किया गया था कि दिनांक — 20.12.19 को इस चिकित्सा महाविद्यालय परिसर से उक्त/सम्पूर्ण अक्रियण को मुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी । जिसके लिए एक जेझीबी०, एक ट्रैक्टर एवं दस मजदूर की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया था तथा अधोहस्ताक्षरी के स्तर से उक्त व्यवस्था कर ली गई थी । परन्तु वर्तमान तक उक्त अतिक्रमण को हटाने/खाली कराने हेतु कार्रवाई नहीं हुई है ।

विदित हो कि इस कार्यालय के पत्र संख्या — दिनांक — द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर को इस संदर्भ में सूचित करते हुए अनुरोध किया गया था कि उक्त स्थायी/सम्पूर्ण अतिक्रमण को मुक्त कराने हेतु यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस चिकित्सा महाविद्यालय परिसर से उक्त स्थायी/सम्पूर्ण अतिक्रमण को हटाने हेतु अपने स्तर से यथाशीघ्र अग्रतर कार्रवाई करने का कष्ट किया जाए ।

यह आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

विश्वासभाजन

ह0/-

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय


मुजफ्फरपुर

ज्ञापांकः— 5/20

दिनांकः— 4/1/2020

प्रतिलिपि:—

1. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
2. आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
3. वरीय आरक्षी अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
4. भूमि सुधार उप समाहर्ता, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
5. अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर को उनके पत्रांक—2992 दिनांक—18.12.19 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
6. थाना प्रभारी, अहियापुर थाना, , मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
7. अंचलाधिकारी, मुशहरी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
8. अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
9. Estate Officer, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
10. सुपरवाईजर, सुरक्षा गार्ड (वाह्य स्रोत), श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
11. कॉलेज वेबसाईट ।


प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर